(ख) यदि हां, तो उन्हें इन कर्जों से उन्मुक्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) भविष्य में सूदखोरों द्वारा कृषि मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). ग्रामीण श्रम जांच (1964–65) ने प्रत्येक कृषि श्रमिक परिवार के औसत ऋण का अनुमान 148 रुपए लगाया था, तत्पश्चात् अखिल भारतीय ऋण निवेश सर्वेक्षण (1971–72) ने प्रत्येक कृषि श्रमिक परिवार के ऋण के औसत मूल्य का अनुमान 162 रुपए लगाया है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि ऋण का अनुपात भूमि परिसम्पत्ति वाले समूहों के बीच बहुत अधिक है। कमजोर वर्गों को ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के भार से राहत देने के लिए साहूकारी को नियन्त्रित करने तथा संस्थागत अथवा सरकारी स्त्रोतों के अलावा ऋण स्थगन, ऋणों से पूर्व मुक्ति तथा ऋणों को घटाने के लाभों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए थे। उन कृषि श्रमिकों के लिए, जिनकी वार्षिक घरेलू आय 2,400 रुपए से अधिक नहीं है, ऋण से पूर्ण मुक्ति का सुझाव दिया गया था। चूंकि साहूकारी तथा साहूकार और कृषि ऋण ग्रस्तता से राहत का विषय राज्य सूची में है, अतः राज्य सरकारें सुझाए गए विधायी उपायों को कार्यान्वित कर रही हैं।

राष्ट्रीय नीति कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण की मात्रा को बढ़ाने की है। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटियां ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए मुख्य संस्थागत एजेंसियों के रूप में जानी गई हैं। अतः एक सक्षम आधार तैयार करने के लिए इन प्राथमिक कृषि सोसायटियों का पुनर्गठन राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए एक निश्चित अवधि के कार्यक्रम के रूप में सुझाया गया है। सहकारी सोसायटियों में सदस्यों के रूप में कमजोर वर्गों के नामांकन पर भी बल दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों को कमजोर वर्गों जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं को उपभोग ऋण दिए जाने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

वृद्धों को पेंशन देने के लिए योजना

1065. **श्री कर्पूरी ठाकुर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असहाय वृद्धों को पेंशन देने के सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जाएगी और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।